भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

25.02.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 166

विकिरण से होने वाले खतरे के संबंध में सुरक्षा संबंधी जांच

166. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकिरण में कार्य करने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक व्यावसायिक जोखिमों और विभिन्न संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी प्रवाहों के निपटान के संबंध में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा यथा अनुमोदित सुरक्षा संबंधी जांच आयोजित की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए ऐसी इकाइयों का आवधिक निरीक्षण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार नाभिकीय अधिष्ठापनों के सुरक्षा आश्वासन और इसमें विश्वास पैदा करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार करेगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, हाँ। सभी नाभिकीय सुविधाओं का अभिकल्पन तथा प्रचालन इस प्रकार से किया जाता है कि कार्मिकों को होने वाले व्यावसायिक विकिरण उद्भासन की मात्रा, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ही रहे। इन सुविधाओं के पास विकिरण से बचाव संबंधी कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक उद्भासन को नियंत्रित करने के लिए कार्य पद्धतियों का होना आवश्यक होता है।

विकिरण उद्भासन संबंधी निर्धारित सीमाओं के अनुपालन की जाँच करने के लिए, नाभिकीय संयंत्रों तथा सुविधाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर पड़ने वाले उद्भासनों की मात्रा की समीक्षा नियमित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि, विकिरण उद्भासन के संबंध में निर्धारित सीमाओं का अनुपालन हो रहा है या नहीं। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा नियमित अंतरालों पर, विनियामक निरीक्षण किए जाते हैं।

नाभिकीय संयंत्रों में सामूहिक व्यावसायिक उद्भासनों का भी बारीकी से मॉनीटरन एवं समीक्षा वार्षिक आधार पर सामूहिक डोज बजट कार्यक्रम के माध्यम से, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, सामूहिक डोजों की "यथासंभव प्राप्य व्यावहारिक न्यूनतम (अलारा)" को नियंत्रित करने के इरादे से, अलग-अलग नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए अधिकतम सामूहिक वार्षिक डोज के लक्ष्यों को स्वीकार करती है।

सुविधाओं से उत्सर्जित विकिरणसक्रिय बहि:स्त्रावों की जांच, परमाणु ऊर्जा (रेडियोसक्रिय अपशिष्टों का निपटान सुरक्षित रूप से करना) नियमावली, 1987 के अंतर्गत, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा जारी विहित सीमाओं/प्राधिकार की शर्तों के भीतर अनुपालन के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा किए गए विनियामक निरीक्षणों के दौरान की जाती है।

(ख) तथा (ग) हालांकि नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपीज़) का आवधिक निरीक्षण परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा किया जाता है, स्थानीय जनता के प्रतिनिधि निरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। सरकार, विनियामक निरीक्षणों में स्थानीय जनता के शामिल होने संबंधी किसी भी प्रस्ताव के बारे में विचार नहीं कर रही है।

कार्मिकों को मिलने वाले विकिरण डोजों का, तथा प्रत्येक नाभिकीय विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित होने वाले द्रव एवं गैसीय वहि:स्त्रावों के संयंत्र-वार ब्यौरे को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की वार्षिक रिपोर्टों में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की वार्षिक रिपोर्ट, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की वेबसाइट www.aerb.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आम जनता में विश्वास जगाने के लिए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का भ्रमण कराया जाना शामिल है।

****